†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंगारेनी कोयला खानों की खानों के विकास की लागत में विदेशी मुद्रा के अंश का अनुमान लगभग ५ करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६१-६२ के लिये आवंटन का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में वेश्यावृत्ति

†**२६४५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार सको रोकने के लिये अफसरों को कानूनी अधिकार सौंपने के बारे में वर्तमान नियमों में संशोधन करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) सरकार को ऐसी किसी वृद्धि का पता नहीं चला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

भारत में रक्षित बैंक की शाखायें

†**२६४६. श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक की कोई शाखा हानि में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शाखायें और वे कहां पर हैं और कब से हानि में चल रही हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) और (ख). रक्षित बैंक की लेखा पद्धति के अधीन बैंकों के विनियोजन पर अर्जित समूचा लाभ इसके केन्द्रीय कार्यालय में दिखाया जाता है । अतः रक्षित बैंक की शाखाओं के बारे में रखे गये आय और व्यय के लेखे से वास्तविक लाभ अथवा हानि का पता नहीं चलता है जो कि समूचे आधार पर निकाला जाता है और शाखा-वार नहीं । इन परिस्थितियों में यह बताना संभव नहीं है कि यदि कोई शाखा हानि में चल रही है तो वह कौनसी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं नियम १९७ के अधीन प्रधान मंत्री का ध्यान गोआ के साथ व्यापार पर तिबं उठाने की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि १ अप्रैल, १९६१ से गोआ के साथ सीमित व्यापार की अनुमति देने का निर्णय कर दिया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गोआ की जनता विशेषकर निर्धन लोगों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका भारत से निर्यात करने दिया जायेगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में, जिन में निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है, निम्न वस्तुएं आती हैं : कपड़ा (खादी, हथकरघा का कपड़ा और मिल के बना हुआ कुछ प्रकार का कपड़ा) किताबें, दवाइयां तथा औषधियां, शिक्षण संस्थाओं के लिये सामान, चाय तथा चमड़े का सामान। सरकार ने गोआ से भारत में सुपारी के आयात की अनुमति देने का भी निर्णय किया है। बहुत सी चीजों का व्यापार स्टर्लिंग में किया जायेगा। किताबें, खादी, हथकरघा कपड़ा के व्यापार का भुगतान भारतीय पयों में किया जायेगा। यह सब व्यापार गोआ में प्रवेश के लिये मजाली के रास्ते से होगा।

२. पुर्तगाली बस्तियों के साथ सीमित व्यापार पुनः आरम्भ करना सरकार की नियंत्रण कम करने की नीति का ही एक अंग है। गोआ से यातायात पर नियंत्रण कम कर दिया गया है तथा सामान सम्बन्धी नियम सरल बना दिये गये हैं। सरकार ने गोआ के साथ व्यापार के लिये अनमोड़ और लक्करकोट इन दो रास्तों को खोल देने की भी घोषणा कर दी है लेकिन पुर्तगाली अधिकारियों ने गोआ की तरफ ऐसी सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की है। यदि व्यापार के मामले में भी पुर्तगाली अधिकारी गोआ निवासियों को सुविधा नहीं देते तो निश्चय ही यह उनका उत्तरदायित्व है।

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : स तरह चोरी छिपे माल को ले जाने में किस प्रकार कमी आयेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम जो अन्य कार्यवाही इस सिलसिले में कर रहे हैं उनके अलावा भी यह कार्यवाही चोरी छिपे माल ले जाने की प्रथा को कम करेगा।

†श्री नौशीर भरूचा : क्या इस नियंत्रण की कमी इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार गोआ के प्रति अपनायी गई आर्थिक नीति को समाप्त कर रही है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : नीति का समाप्त करना तो इसे नहीं कहा जा सकता किन्तु कभी-कभी नीति में परिवर्तन अवश्य हो जाता है।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : गोआ वालों की वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से क्या पंजिम तथा बम्बई के बीच स्टीमर सेवा चालू की जायेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : बिना पूछे मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : क्या व्यापार सम्बन्धी ये सुविधाएं गोआ तथा दमन पर भी लागू होंगी ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : ये सुविधाएं सभी पुर्तगाली बस्तियों पर लागू होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में